

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक-अगस्त 31 , 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***183 वाहनों का चालान व 09 वाहनों से कुल 8500/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया। ***व 01 वाहन को सीज कर*** आवश्यक कार्यवाही की गयी।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 77*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 473 व्यक्तियों से 4800/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल- 02 अभि0गण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब व 35 शीशी अवैध देशी शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण

1. विनोद बंका पुत्र सुलई नि० हथियागढ़ थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से * 10 ली० कच्ची शराब, बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- 200/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

2. राकेश गौड़ पुत्र लौटन नि० कुसहा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से *35 शीशी अवैध देशी शराब, बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- 201/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

कस्टम अधि० के अन्तर्गत कि गयी कार्यवाही:-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजू रौनियार पुत्र रमाशंकर सा० रेंगहिया थाना निचलौल के कब्जे से 125 किलो ग्राम मटर की बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- निल/20, धारा- 3/11 कस्टम एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

गुण्डा अधि० के अन्तर्गत कि गयी कार्यवाही:-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण

1. राममिलन पुत्र घुट्टर सा० कांघ
2. प्रणय कुमार गौचम पुत्र रामप्रसाद सा० सवना
3. राजेन्द्र पुत्र स्व० मोती सा० मुण्डेरा कला
4. बुद्धिराम पुत्र वंशी सा० कांघ
5. बृजेश उर्फ उमापति पुत्र रामाज्ञा यादव नि०गण बरगदवा राजा थाना कोतवाली के ऊपर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- निल/20, धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल-06 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 30/31-08-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 14 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।